कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवार के सदस्य के मृत्यु के उपरांत उनके अंत्येष्ठि क्रिया हेतु मृतक के निकटवर्ती आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना अन्तर्गत्त मृतक के आश्रित को अन्तेष्ठि क्रिया हेतु एकमुश्त रू0 3000/- रूपये की सहायता दी जाती है।

4. पात्रता

बी0पी0एल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्ठि क्रिया हेतु परिवार को अनुदान देय होगा ।

5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यकम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।